कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बालोद (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 82 /सॉ.शा./2021 बालोद दिनांक 04/01/2022

वर्तमान में कोविड–19 एवं नये वेरियन्ट ओमिक्रान के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1), एपिडेमिक एक्ट–1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जनमेजय महोबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूंः–

1. जिला बालोद राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं खेल–कूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर **पूर्णतः प्रतिबंध** लगाया जाता है।
2. जिले अतंर्गत सभी मॉल, होल–सेल दुकाने, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, स्वीमींग पूल, आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक **एक तिहाई क्षमता** के साथ संचालित किया जावे।
3. कोविड के नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए **धान खरीदी केन्द्र एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) से संबंधित कार्य चालू रहेंगे।**
4. जिले की सड़क सीमाओं एवं सभी रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर का आयोजन कर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का रेंडम जाँच किया जायेगा तथा लक्षण युक्त यात्रियों का कोरोना जाँच किया जायेगा।
5. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें, कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करें।
7. समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 07749–223950 है।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

4/1/22

(जनमेजय महोबे)
कुलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

पृ0 कमांक/ 82 /सॉ.शा./2022 बालोद दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, बालोद को सूचनार्थ। समस्त थाना प्रभारियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बालोद को सूचनार्थ।
7. सर्व तहसीलदार जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद / गुरूर/ गुण्डरदेही/ डौण्डी/डौण्डीलोहारा जिला–बालोद को सूचनार्थ।
9. स्टेशन मास्टर बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4/1/22

कुलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)